सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 12 – 19 फरवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

जंजैहली प्रकरण में गलत शपथपत्र दायर करने वालों के खिलाफ कारवाई क्यों नही

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के अपने चुनावक्षेत्र सिराज के जंजैहली में खुले एसडीएम कार्यालय की अधिसूचना को रद्द किये जाने के आग्रह की आयी याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2018 को दिये फैसले में सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत के फैसले से जंजैहली में खुला यह कार्यालय तो बन्द हो गया है लेकिन इस कार्यालय के इस तरह बन्द होने से स्थानीय जनता में रोष फैल गया है। जनता फैसले के विरोध में सड़को पर उत्तर आयी है। विरोध ने एक जनान्दोलन का रूप ले लिया है और जनान्दोलन के संचालन के लोगों ने वाकायदा एक संघर्ष समिति तक का गठन कर लिया है। यह आन्दोलन इतना बढ़ गया है कि लोगों ने मुख्यमन्त्री का पुतला तक जला डाला। सामान्य जनजीवन इस कदर प्रभावित हुआ है कि इसके विरोध में भी एक याचिका उच्च न्यायालय में आ चुकी है जिस पर अदालत को प्रशासन तथा आन्दोलनकारियों को निर्देश देने पड़े हैं कि आन्दोलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित नही होना चाहिये। यह मुख्यमन्त्री का अपना चुनावक्षेत्र है और यहीं की संघर्ष समिति से उनकी बातचीत विफल हो चुकी है। इससे आन्दोलन की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यमन्त्री इस मामलें के उलझने के लिये प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में गलत शपथपत्र दायर करने को कारण करार दे चुके है।

उच्च न्यायालय के फैसले से यह अधिसूचना रद्द हुई और अब जयराम सरकार ने इस फैसले के बादे थुनाग में नये सिरे एसडीएम कार्यालय खोले जाने की अधिसूचना जारी कर दी है और यह भी व्यवस्था की है कि एसडीएम महीने में चार दिन जंजैहली बैठकर वहां के लोगों के काम निपटायेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से भी आन्दोलन समाप्त नही हुआ है क्योंकि अब जंजैहली के लोग थुनाग में ऑफिस खुलने का विरोध कर रहें है पहले थुनाग के लोग विरोध कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पूरा मामला है क्या? साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि मुख्यमन्त्री जो प्रशासन को इसके लिये दोष दे रहे हैं वह कितना सही है और यदि प्रशासन ने उच्च न्यायालय को गुमराह किया है तो फिर इस संवद्ध प्रशासन के खिलाफ अब तक मुख्यमन्त्री कोई कारवाई क्यों नही कर पाये है। क्या संवद्ध प्रशासन को बचाने के लिये कोई मुख्यमन्त्री कार्यालय में बैठकर ही भूमिका अदा कर रहा है।

स्मरणीय है कि जंजैहली में 27.6.2016 को मुख्य सचिव ने एक अधिसूचना जारी करके एसडीएम कार्यालय खोला था। 21.4.2016 को इसी क्षेत्र के छतरी में एक उप तहसील खोली गयी थी Annexure P-9 is the Notification dated 27.6.2016, issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, whereby a new Sub Division (Civil), known as "Janjehli" is created by reorganizing certain areas of Tehsil Thunag and Tehsil Bali Chowki. Annexure P-10, dated 21.4.2016, is the Notification, creating Sub-Tehsil at Chhatri. In effect, this Court is called upon to adjudicate the action of the State in issuing Annexures P-9 and P-10. यह सब – तहसील और एसडीएम कार्यालय खोले जाने के विरोध में उच्च न्यायालय में एक याचिका CWP 1272of 2016 दायर हो गयी। यह याचिका ग्राम पंचायत थुनाग द्वारा की गयी थी। इस याचिका में जिला परिषद्, कुछ स्थानीय पंचायतो और व्यापार मण्डल तक के प्रस्ताव थे जिनमे जंजैहली में यह कार्यालय तथा छतरी उप – तहलीस की अधिसूचना को रद्द किये जाने की गुहार लगाई गयी थी। CWP 1272of 2016 पर उच्च न्यायालय को बताया गया था कि At this point in time, it be only observed that earlier attempt of the State, in taking the aforesaid action, was assailed before the

Court, which petition being CWP No.1272 of 2016, titled as Gram Panchayat Thunag v. State of H.P. & others, was disposed of in the following terms, for at that point in time, the Court was assured that no notification stands issued, with regard to the opening of Office of Sub Divisional Officer (Civil) at Janjehli and that question of unilateral decision to open the office does not arise at all: Respondents No.1 to 3 have filed reply. It is apt to reproduce paras 3 & 6 of the reply herein:

"3. In reply to Para No. 3 of the civil writ petition it is submitted that while opening new Govt. Offices at any place all aspects are being kept in mind and no unilateral decision or proposals are being taken. However, it is submitted that no notification has been issued by the Govt. about the functioning of Sub Divisional Office (C) at Janjehli, so far.

4 & 5. .....

6. That the contents of Para No. 6 are not admitted. In this context it is submitted that no notification has been passed by the Himachal Pradesh Govt. so far regarding opening of new SDM cum SDO (C) office at Thunag or Janjehli. So the question of unilateral decision to open this office does not arise at all."

जयराम सरकार से एक बड़ा सवाल

इसके बाद 27.6.2017 को जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले जाने की पुन: अधिसूचना जारी कर दी गयी। मामला फिर अदालत के संज्ञान में आया। इस पर 26.10.2017 को जवाब दायर किया गया और फिर अदालत के सामने सारे तथ्य नही रखे गये। इसपर अदालत ने यह स्पष्ट कहा है कि One finds that not only the assurance meted out to this Court that no decision on unilateral basis shall be taken by the State, stands breached, but apart from the fact that principles of natural justice stand not complied with, inasmuch as views of the local people were not even considered, to the contrary one finds the record to be conspicuously absent, explaining the public interest involved in taking such action.

13. What is that "public interest" remains shrouded with mystery. Record is not reflective of the same. It may be in the memory of the decision maker, but then, in law, one cannot trace it to the same, for it is the record which must speak and not the person. Resolutions of the Gram Panchayats have not been considered, muchless responded to. There is no application of mind and the decision, it appears has been taken in hot haste, only to achieve certain oblique ends, as alleged by the petitioner. Consciously, we are not dwelling on the political consideration being one of them. However, we are concerned that even otherwise the democratic Will and voice of the people stands ignored and not considered, apart from the fact that the decision is totally illogical and arbitrary.

14. Newly created Sub Division at Janjehli, with its headquarters at the same place, now comprises of 14 Patwar Circles of Tehsil Thunag. What is the justification for doing the same, and that too, when Janjehli is just at a distance of 14 kms from Thunag, remains undisclosed. Most

शेष पृष्ठ 8 पर .....

स्थानीय देवी-देवताओं के नजराने में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मण्डी जिले का प्रसिद्ध पारम्परिक अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मेले के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की। पड्डल स्टेडियम में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय देवी-देवताओं के नजराने में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इसकेअलावा उन्होने देवताओं के साथ संगीतकार'बजंतरियों'के मानदेय में दोगुणा वृद्धि तथा राशन के कोटे में 20 प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की। बजंतरियों के मानदेय में दोगुणा वृद्धि लगभग 7.31 लाख रुपये बनती है, जो वर्ष 2017 में 3. 64 लाख रुपये थी।

उन्होंने कहा कि छुटे देवी-देवताओं को चरणबद्ध तरीके से पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए 'सर्व देवता समिति' दिशा-निर्देश तैयार करेगी और इसके उपरान्त प्रत्येक मामले की जॉच कर सभा में सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर मामला जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों का जीवन स्थानीय देवी और देवताओं के इर्द-गिर्द घूमता है और स्थानीय देवी-देवता लोगों के जीवन के अभिन्न हिस्सा है और लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं। उन्होने कहा कि हमें पारम्परिक परम्पराओं के अनुसार सभी धार्मिक रस्मों का निर्वहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्यौहार 'देव और मानव मिलन' की अनुभूति

करवाते हैं।

उन्होने इस अवसर पर मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आजाद विधायक सभी नौ विधायकों को देखकर प्रसन्नता हो रही है, जो यहां पारम्परिक उत्साह के साथ मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन को बधाई दी।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध माधोराय मन्दिर में पूजा अर्चना कर शिवरात्रि मेले की पारम्परिक 'जलेब' (शोभा यात्रा) में भाग लिया जो उपायुक्त कार्यालय से शुरू हो कर पड्डल मैदान में समाप्त हुई। स्थानीय देवी-देवताओं ने मुख्य देवता माधोराय के साथ शोभा यात्रा का नेतृत्व किया।

मुख्यमंत्री का पारम्परिक रीति-रिवाजों से स्वागत किया गया। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, सांसद राम स्वरूप शर्मा, स्थानीय विधायक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश, विशेषकर मण्डी जिले के लोगों की खुशहाली की कामना की।

स्थानीय देवी-देवताओं की पालकियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रंग-विरंगे परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हो कर पड्डल मेला मैदान में एकत्रित हुए। जिले के लगभग सभी भागों से 200 के करीब देवी-देवताओं ने पारम्परिक शोभा यात्रा 'जलेब' में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने मण्डी में अस्पताल-रिवालसर सड़क पर स्कोडी नदी के तटीकरण की भी घोषणा की और देव सदन मण्डी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार मण्डी में पार्किंग के लिए खुली जगह की तलाश कर रही है और शीघ्र ही यातायात भीड़ की समस्या के निपटने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मण्डी को भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के अन्तर्गत हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के साथ मामला उठाएगी। इसके अतिरिक्त, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला तथा जन जातीय क्षेत्रों के लिए शीघ्र चण्डीगढ़ से सीधी उड़ाने आरम्भ की जाएंगी। उन्होंने मण्डी में एक अन्य हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश के लिए निर्देश दिए।

इससे पूर्व शिमला से आते वक्त मुख्यमंत्री ने सुन्दरनगर बीबीएमबी विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनीं।

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर जो शिवरात्रि मेला समिति के अध्यक्ष भी है, ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सप्ताह भर चलने वाले मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा भी दिया। उपायुक्त ने कहा कि समारोहों के दौरान जिले की कला, संस्कृति एवं रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने सेरी मंच पर विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा स्थापित प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन किया और सारस मेले में गहरी रूची दिखाई।

इससे पूर्व, भाखड़ा-ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के अध्यक्ष डी.के. शर्मा ने बाली चौकी तहसील के डैहर गांव के अग्नि प्रभावितों की सहायता के लिए 2 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।

H. P. P.W.D. TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer Dehra Division HPPWD., Dehra on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors (C&D Class) enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1. Date and time of receipt of application for tender form: 14.03.2018 upto 4.00 PM
2. Date and time of issue of tender form: 16.03.2018 upto 5.00 PM
3. Date and time of receipt of tenders: 17.03.2018 upto10.30AM
4. Date and time of opening of tenders: 17.03.2018 at 11.00 AM

The tender forms will be issued against cash payment (non refundable). The earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any of Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the Executive Engineer, Dehra Division HPPWD Dehra must accompany with each tender.

Job No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of form
1. C/O Approch road to Chander Dhar Degree College at Haripur Guler (SH: C/O C. C. Pavement in RD 0/680 to 0/840) Deposit work.	Rs.6,67,354/-	Rs.13,350/-	One Months	Rs.350/-
2. C/O Saleti Bhindla road Km 0/0 to 2/820 (SH: C/O Cement concrete pavement from RD 0/380 to 0/425 and 0/850 to 0/950) Under SCSP.	Rs.7,69,982/-	Rs.15,400/-	Three months	Rs.350/-
3. C/O Link road from village Sarad Dogri to Lower Sarad Dogri Km 0/0 to 2/500 (SH: C/O Solid causeway from RD 0/160 to 0/205) OTMNP	Rs.9,26,108/-	Rs.18,500/-	Two Months	Rs.350/-
4. C/O Bharwain to Gural road Km 0/0 to 3/0 SH: C/O Cement concrete pavement from RD 2/150 to 2/255) OTMNP	Rs.6,38,236/-	Rs.12,800/-	Two Months	Rs.350/-
5. C/O Veterinary Dispensary building at Katoh Tikkar in Distt. Kangra HP (SH: C/O Building portion i/c water supply and sanitary installation) Deposit work.	Rs.6,82,781/-	Rs.13,700/-	Nine Month	Rs.350/-
6. Restoration of rain damages on Guler to Nandpur road Km 0/0 to 5/135 (SH: C/O Breast wall at RD 0/160 to 0/225 C/O U-Shape drain Km 0/160 to 0/240 and Toe wall of HP culvert at RD 0/175)	Rs.4,21,295/-	Rs.8,500/-	Two Months	Rs.350/-
7. C/O Link road Harizan Basti Punani (Khuban) Km 0/0 to 0/750 (SH: C/O 3.00mtr. span RCC slab culvert at RD 0/092 and 900mm dia Hume pipe culvert at RD 0/062 and 0/355) Under SCSP.	Rs.5,35,796/-	Rs.10,700/-	Three Months	Rs.350/-
8. Improvement of Black Spot Kaloha Shantla road (SH: C/O C.C. Pavement at RD 5/230 to 5/270 and 5/345 to 5/370)	Rs.5,83,000/-	Rs.11,700/-	Two Months	Rs.350/-
9. C/O Link road Nehran Pukhar Sadwan road to Upper Kaloha (SH: P/L 2cm thick premix carpet with seal coat in Km 1/086 to 1/690) Under SCSP.	Rs.4,03,280/-	Rs.8,100/-	One Month	Rs.350/-
10. Improvement of Black spots on Khundian Nallian Seorbala Road (SH: C/O C. C. pavement in Km 14/800 to 15/0)	Rs.6,18,725/-	Rs.12,400/-	Two Months	Rs.350/-
11. Prepration of detailed project report for the work C/O Seorbala Nallian Khundian Dola Kharyana Lagru Tikka Tali Jandrah Dehrain Baroh road under CRF Km 9/485 to 50/000.	Rs.5,87,468/-	Rs.11,800/-	Three Months	Rs.350/-
12. Improvement of Black Spot Bankhandi to Haripur road Km 0/0 to 8/0 (SH: C/O R/wall at RD 3/800 to 3/815)	Rs.1,66,880/-	Rs.3,400/-	Two months	Rs.350/-

1.The contractors/firms should possess the following documents(Photocopy to be attached):
i) Latest renewal of enlistment.
ii) PAN (Permanent Account No.)
iii) Registration under HP General Sale Tax Act,1968 (TIN/GST No.).
iv) EPF(Employee Provident Fund Account No.)
2. Ambiguous/telegraphic/conditional tenders or tender by Fax/E-mail shall not be entertained/ considered in any case.
3. The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).
4. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening.

Adv. No.-3902/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

स्वास्थ्य मंत्री ने किया 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार न सोलन जिले के दाड़लाघाट समीप 108 एम्बुलेंस नम्बर: एचपी-63-4288 का औचक निरीक्षण किया। एम्बुलेंस रोकने पर पाया गया कि इसमें कोई भी मरीज नहीं था और चालक ने मरीज को अस्पताल पहुंचा कर वापिस आने की बात कही।

मंत्री ने कहा कि 108 सेवाओं की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया था कि वाहन में 31 जैनरिक दवाईयां, ऑक्सिजन के दो सिलेण्डर तथा तीन स्टेचर उपलब्ध रहते हैं, जबकि मौके पर कुछ एक इन्जैक्शन को छोड़कर वाहन में कोई भी दवा नहीं थी और न ही ऑक्सिजन सिलेण्डर था। केवल छोटे-छोटे दो स्टेचर पड़े थे। यहीं नही गम्भीर दुर्घटना की स्थिति में वाहन में 21 औजार उपलब्ध होने की बात भी मंत्री को बताई गई थी, लेकिन वाहन में कोई ऐसा उपकरण नहीं था और वाहन में धूल जमी थी।

स्वास्थ्य मंत्री ने 108 एम्बुलेंस राष्ट्रीय सेवा की खराब हालत और इसमें सुविधाओं की कमी पर कड़ा सज्ञान लेते हुए विशेष सचिव स्वास्थ्य को दूरभाष से एम्बुलेंस संचालन कम्पनी जीवीके के विरूद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। मंत्री ने कहा कि क्यों न कम्पनी के टेण्डर रद्द कर दिए जाए।

मंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और वह इसके लिए काफी संवेदनशील हैं।

किसानों की आजीविका में सुधार के लिए 700 करोड़ की परियोजना:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमण्डल तथा परियोजना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि इस वर्ष अप्रैल माह से आरम्भ होने वाली विश्व बैंक द्वारा पोषित 700 करोड़ रुपये की स्त्रोत स्थिरता तथा जलवायु तन्यक वर्षा आधारित कृषि एकीकृत विकास परियोजना (आईडीपी) निश्चित तौर पर प्रदेश में वर्षा-जल पर निर्भर खेतीहरों की स्थिति में बदलाव लाएगी।

यह परियोजना कृषि प्रचलन तथा सबंद्ध गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करने पर आधारित होगी। विश्व बैंक की इस परियोजना के क्रियान्वयन में व्यय का 80 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार तथा 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना से लघु किसानों को जोड़ा जाएगा तथा ग्रामीण युवाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के बारे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से मौजूदा जल स्त्रोतों का भी सुदृढ़ीकरण होगा, जिनकी उत्पत्ति मुख्यत: ऊंचे जलग्रहण तथा वन क्षेत्रों से होती है।

यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शून्य लागत प्राकृतिक खेती के स्वप्न को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में यह खेती और भी प्रचलित होगी। उन्होंने कहा कि किसान दूध उत्पादन में वृद्धि, इसके विद्यायन तथा गुणवत्ता में वृद्धि के माध्यम से भी लाभान्वित होंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन के साथ-साथ केंचुआ खाद को भी बढ़ावा मिलेगा।

रंजन समान्तरे व कृस जैक्सन की अध्यक्षता में विश्व बैंक के दल ने परियोजना के बारे विस्तृत जानकारी दी।

आधार पंजीकरण के सौ उपकरण भेंट

शिमला/शैल। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राम लाल मारकण्डा ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को आधार पंजीकरण के एक सौ उपकरण भेंट किए। इन उपकरणों के माध्यम से राज्य के 100 विद्यालयों में आधार पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

मारकण्डा ने कहा कि इन उपकरणों के माध्यम से 5 एवं 15 साल की आयु वाले बच्चों की जानकारी को बायोमैट्रिक के माध्यम से अपडेट किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, अत्याधुनिक स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है, जो विभिन्न विभागों के ई-गर्वनेंस परियोजनाओं को होस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि स्टेट वाईड नेटवर्क भी स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा 2240 सरकारी कार्यालय जुड़े हुए हैं। राज्य में लगभग 2719 लोकमित्र केन्द्र संचालित हैं। भारत सरकार के 'भारत नेट प्रोजेक्ट' द्वारा पंचायत स्तर पर ऑपटिकल फाईबर नेटवर्क के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में पादर्शिता लाने के लिए टेंडर ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को डिजीटल साक्षर बनाया जाएगा। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए आधार प्रमिकरण की प्रक्रिया से छूट दी जाएगी। इस अवसर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक रोहण चन्द ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 105 प्रतिशत आधार बन चुके हैं।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के 200 रिक्त पदों को भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में राज्य, विशेषकर ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों को उनके घर द्वार के समीप स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने तथा चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वॉक-इन-इंटरव्यू से अनुबंध आधार

पर चिकित्सा अधिकारियों के 200 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य तथा राज्य के बाहर से एमडी/एमएस डिग्री अथवा डिप्लोमा, सुपरस्पेशियलिटी डीएम/एमसीएच, डीएनबी, स्नात्कोत्तर कोर्स करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों के लिए निविदा बांड मनी को लेकर स्नात्कोत्तर नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे स्नात्कोत्तर कोर्स करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमण्डल ने दालों के प्रापण के तरीके, प्रावधानों तथा मौजूदा नीति में संशोधन कर दालों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) से दाल चना, उड़द साबुत, मूंग साबुत तथा मल्का चार दालों की खरीद का निर्णय लिया। हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित तथा एनसीसीएफ इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करेंगे। इस निर्णय से दालों की खरीद से हर महीने 2.63 करोड़ रुपये की बचत होगी।

बैठक में केएफडब्ल्यू विकास बैंक जर्मनी की सहायता से चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही हि.प्र. फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना को और अधिक आवश्यक स्टॉफ प्रदान कर सुदृढ़ करने के लिये मंजूरी प्रदान की गई। परियोजना में वन संसाधनों के सतत् प्रबन्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता तथा सतत् आय में वृद्धि कर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इन जिलों की 600 पंचायतों को शामिल किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने टांडा मेडिकल कालेज में उपलब्ध अत्याधुनिक कैंसर उपचार उपकरणों को क्रियाशील बनाने के लिये आउटसोर्स आधार पर दो मेडिकल फिजिसिस्ट तथा चार रेडियोथेरेपिस्ट टैक्निशियनों को तैनात करने के लिये मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगश्याड़ को विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न श्रेणियों के 26 नये पदों के सृजन सहित कुल्लू जिले के नागरिक अस्पताल आनी को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक द्वसूचना प्रौद्योगिकीद्व के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में अन्वेषकों के तीन रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

स्कूलों में घटते नामांकन पर एससीईआरटी ने सौंपी सर्वेक्षण रिपोर्ट

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की संख्या मायने नहीं रखती है, बल्कि बुनियादी सुविधाएं व शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है। वह स्कूलों में घटती नामांकन दर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे।

एससीईआरटी द्वारा प्रदेश में इस प्रकार का सर्वेक्षण पहली बार करवाया गया है, जो भविष्य में शिक्षा से सम्बद्ध नीतियों के निर्माण में मदद करेगा। यह अध्ययन भौगोलिक, सामाजिक व साक्षरता दर के घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को चार शिक्षा खण्डों में विभक्त कर तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया गया है।

सर्वेक्षण के दौरान घटती नामांकन दर में विभिन्न पहलू सामने आए हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों में खेल मैदान, नर्सरी/केजी का न होना, एकल अध्यापक व अध्यापक कक्षा अनुपात में असंतुलन, फेल न करने की नीति का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव, निजी स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक व गैर शैक्षिक गतिविधियों में भागेदारी, निजी स्कूलों में अभिभावक-अध्यापक समन्वय सभा की अनिवार्यता, सरकारी स्कूलों में बच्चों की देख-भाल के लिए अलग सहायक का न होना तथा सत्र के बीच शिक्षक का तबादला जैसे कारक शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बन्द करने की बात कभी भी नही कही, लेकिन हमारा उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि समीपवर्ती स्कूलों को आपस में जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, ताकि शिक्षक -स्कूल-विद्यार्थी अनुपात में सुधार हो और अध्यापक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में अधिकांश प्राथमिक पाठशालाओं में एकल अध्यापक का होना नामांकन दर में कमी के मुख्य कारणों में एक है। उन्होंने कहा हालांकि, इस बारे कोई फैसला जन प्रतिनिधियों तथा हितधारकों के साथ बात करने के उपरान्त छात्र-छात्राओं के हित में लिया जाएगा। उन्होंने राजकीय अध्यापकों से अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगरों व उप-नगरों के स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक मौजूद है, लेकिन दूर-दराज व दुर्गम क्षेत्रों में कुछ स्कूलों में अध्यापकों की कमी अवश्य है और राज्य सरकार इन स्कूलों में भी अध्यापकों की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। निजी शिक्षण संस्थानों में नियामक तंत्र पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि इन संस्थानों में फीस इत्यादि को लेकर अभिभावकों की चिंता को दूर किया जा सके।

शिक्षा सचिव डॉ. अरूण शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कौशल विकास में आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही कौशल विकास में देश में आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री नई दिल्ली के

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में बिलीव इण्डिया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा स्वयसेवी संस्था 'स्वाका स्किल्ज' द्वारा आयोजित स्किल इण्डिया पैविलियन के समापन समारोह 'वर्ल्ड ऑन प्लैटर' के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं का कौशल उन्नयन करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देगी, ताकि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वरोज़गार के अवसर प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार एक योजना बनाने के बारे में सोच रही हैं, जिसमें स्किल इण्डिया के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए ब्रॉड उत्पादों को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है तथा प्रदेश में युवा आबादी 35.25 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 34.80 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई है, जिससे देश में चल रही सभी कौशल विकास गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा इन्हें सामान्य मानकों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से कौशल विकास गतिविधियों को मांग केन्द्रों से भी जोड़ा जाएगा। इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी प्रदेश में कौशल विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास नीति प्रस्तावित की है। कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर 1,85,326 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के दौरान स्किल इण्डिया द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिय आयोजकों की सराहना की तथा कहा कि यह आयोजन कुशल युवाओं को सशक्त बनाएगा तथा उन्हें रोजगार के अवसर व अनुभव प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने पैबेलियन में स्थापित सभी स्टॉलों का दौरा किया तथा आयोजकों से बातचीत की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्टॉल का दौरा किया तथा इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के राज्य प्रमुख जयकान्त सिंह ने निगम की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर एक परियोजना पर कार्य करेगा।

दोषी दवा उत्पादकों के खिलाफ सख्त कार्रवाइ करेगी सरकार: विपिन परमार

शिमला/शैल। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण की बात हो, इन संस्थानों में अधोसंरचना उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर दवाईयों के उत्पादन की बात हो, किसी भी स्तर पर कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों से निपटने को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है, और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता के मानदण्डों को अपना रही है।

राज्य में गत दिनों कुछ दवा उत्पादन कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं के सैंपल फेल होने से संबंधित कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर मंत्री ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए दोषी दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाइ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न दवाईयों की गुणवत्ता जांचने के लिये सैंपलिंग करवाती है और इसके दृष्टिगत पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य में कुल 1065 दवाओं के नमूने लिए गए जिनमें से 33 फेल हुए हैं। मंत्री ने दवाओं के सैंपल फेल होने पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है।

परमार ने कहा कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में निर्माण कर रही इन कंपनियों की मनमानी अब कतई नहीं चलेगी। उन्होंने दोशी कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाइ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनके उत्पादकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और ऐसी दवाओं को बाजार से तुरंत हटाने को कहा गया है। विभाग लगातार एसी दवाओं पर नजर रखें हैं और किसी भी स्तर पर कोताही करने पर बख्शा नहीं जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य की कुछ दवा कंपनियां जिनमें मैडिपोल, अल्ट्रा, एफाईन, अल्ट्राटैक, पार्क, स्पैन, एडमिन, एचएल हैल्थ केयर शामिल हैं, कि कुछ दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं और इन कंपनियों को सख्त नोटिस जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी दवा कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जाए और कोई भी कंपनी यदि नियमों का उल्लंघन करती है, अथवा अवमानक दवाई का निर्माण करती है, तो ऐसी कंपनी का लाईसेंस तक रदद किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवमानक दवाओं की आमद अथवा बाजार में उपलब्धता पर हर वक्त निगरानी रखने व दवाओं को तुरंत बाजार से हटवाने तथा दोषियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की इलैक्ट्रिकल बस सेवाओं को हरी झण्डी दिखाकर रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 90:10 के अनुपात में भारत सरकार की योजना फॉस्ट अडोप्शन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकलस (फेम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की इलैक्ट्रिकल बस सेवाओं को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने विभिन्न 9 रूटों पर राज्य सचिवालय से शिमला के विभिन्न स्थानीय गणतव्यों के लिए 11 इलैक्ट्रिक वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। किराए में कोई भी बदलाव नहीं होगा और इनका किराया शहर में नगर निगम सीमाओं के अन्तर्गत पहले से ही संचालित की जा रही एचआरटीसी टैक्सियों के बराबर होगा।

ये टैक्सियां राज्य सचिवालय से आईजीएमसी, पुराना बस स्टैंड से हि.प्र. सचिवालय, ढली सुरंग से आईजीएमसी, बालुगंज से सीटीओ, पुराना बस स्टैंड से सीटीओ, टूटी कण्डी क्रॉसिंग से सीटीओ, नवबहार से आईजीएमसी तथा समरहिल से सीटीओ के बीच चलाई जाएंगी। योजना के अन्तर्गत राज्य को कुल 50 बसें प्रदान की गई हैं।

राज्य नीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलो से होता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

कर्ज का सहारा कब तक

जयराम सरकार को अभी सत्ता संभाले दो माह का समय नहीं हुआ है लकिन इसी अल्प अवधि में सरकार को 1500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ गया है। प्रदेश की वित्तिय स्थिति का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंस चुका है कि कर्ज लेना मजबूरी बन चुकी है। कल तक भाजपा इस कर्ज के लिये वीरभद्र को कोसती थी लेकिन आज स्वयं सत्ता संभालने के बाद कर्ज लेकर काम को चलाना पड़ रहा है। आज प्रदेश का कर्जभार जीडीपी के 35% से भी बढ़ गया है। जबकि एफआरवीएम के तहत यह 3% से अधिक नही होना चाहिये। इस बढ़ते कर्ज पर भाजपा सरकार वित्त विभाग मार्च 2016 में प्रदेश सरकार को चेतावनी भी जारी कर चुका है। इसी चेतावनी का परिणाम है कि केन्द्र प्रदेश को वेल आऊट नही कर पा रहा है। क्योंकि तय वित्तिय नियमों से केन्द्र भी बंधा हुआ है। फिर यदि एक प्रदेश को केन्द्र कोई बेल पैकेज देता है तो कल उसी तर्ज पर दूसरे प्रदेश भी मांगेगे क्योंकि कर्ज के जाल में हर प्रदेश फसा हुआ है। अभी केन्द्र का जो बजट आया है और उसमे जो जो घोषणाएं की गयी हैं उन्हे पूरा करने के लिय धन कहां से आयेगा इसके लिये बजट में कुछ भी स्पष्टता से नही कहा गया है। यही केन्द्र के बजट का सबसे नकारात्मक पक्ष है और इसी को लेकर मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप भी लग रहा है।

इसी परिदृश्य में यदि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर अपने वित्तिय हालात को नहीं सुधारती है तो आने वाला समय और भी कठिन होगा। इसलिये यह समझना बहुत आवश्यक है कि प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा कैसे और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। 1998 में जब प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी तब उन्होने सदन में प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर एक श्वेत पत्र रखा था। इस श्वेत पत्र में यह तथ्य आया था कि जब अप्रैल 83 में स्व. ठाकुर रामलाल ने सत्ता छोड़ी थी और वीरभद्र ने संभाली थी उस समय प्रदेश पर कोई कर्ज नही था बल्कि सरकार के 80 करोड़ का बैलेन्स था। सदन में आये इस श्वेत पत्र के तथ्यों को वीरभद्र और कांग्रेस झुटला नहीं पाये थे। लेकिन 1990 में जब शान्ता कुमार ने प्रदेश की बागडोर दूसरी बार संभाली तब उन्होनें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जेपी उद्योग समूह का पदार्पण बिजली बोर्ड से बसपा परियोजना लेकर जेपी को देकर करवाया। इस परियोजना पर बिजली बोर्ड जो निवेश कर चुका था उसे ब्याज सहित बोर्ड को वापिस किया जाना था। जोकि आज तक नही हुआ बल्कि ब्याज सहित यह रकम 92 करोड़ बन गयी थी जिसे बट्टे खाते में कैग के एतराज के बावजूद डाल दिया गया। शान्ता के इसी काल में संविधान की धारा 204 का उल्लघंन करके राज्य की समेकित निधि से खर्च करने का चलन शुरू हुआ जो आज तक लगातार चल रहा है और कैग रिपोर्ट में हर बार इसका जिक्र रहता है। लेकिन शान्ता ने जलविद्युत परियोजनाओं से 12% रायल्टी वसूलने का जो फैसला लिया उसके साये तले में यह मुद्दा ही दब गया कि विद्युत उत्पादन में निजिक्षेत्र की भागीदारी कितनी होनी चाहिये। बल्कि यह प्रचारित और प्रसारित होता रहा कि हिमाचल बिजली राज्य है। इसी बिजली राज्य के नारे के परिणामस्वरूप यहां पर औद्यौगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है उद्योगपत्ति आये। विद्युत उत्पादन पर तो इस प्राईवेट सैक्टर ने पूरी तरह का कब्जा कर लिया है। 1990 में जब बिजली बोर्ड से कैलाश महाजन को हटाया गया था उस समय बोर्ड करीब 480 मैगावाट का उत्पादन कर रहा था जो आज 2018 में केवल 512 मैगावाट तक ही पहुंच पाया है। लेकिन आज इसी विद्युत से प्रदेश को आये होने की बजाये हानि हो रही है। वीरभद्र के इस बीते कार्यकाल में एक भी विद्युत परियोजना में निवेश करने वाला कोई नही आया है। आलम यह है कि निजिक्षेत्र को लाभ देने के लिये बोर्ड की अपनी परियोजनाओं में हर वर्ष हजारो घण्टों का शटडाऊन किया जा रहा है। हर वर्ष बोर्ड की बिजली बिकने से रह रही है। जबकि प्राईवेट सैक्टर के उत्पादकों से पीपीए के तहत बोर्ड को खरीदनी पड़ रही है। इस तरह नुकसान केवल सरकार का हो रहा है और यह दोहरा नुकसान है एक अपने प्रौजैक्ट शटडाऊन के बाहने बन्द रह रहे हैं तथा दूसरा बिजली बिक नही रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी।

विद्युत जैसी ही स्थिति है हमारे उद्योगों की उनमें भी जितनी सब्सिडी उद्योगों को दी जा चुकी है जिसका जिक्र कैग कर चुका है। उस अनुपात में न तो उद्योगों से रोजगार मिल पाया है और न ही टैक्स के रूप में सरकार को पर्याप्त मिल पा रहा है। यहां भी पूरी नीति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र है जहां इस नीति पर नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज सैंकड़ो स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चो की संख्या दस और बीस के बीच है वहां भी कम से कम तीन अध्यापक हैं जिनका वेतन एक लाख से अधिक होता है। यदि ऐसे स्कूलों को बन्द करके इन बच्चों को फी बस सेवा उपलब्ध करवा कर नजदीक के दूसरे स्कूल में डाल दिया जाये तो यह खर्च केवल पांच छः हजार महीने का आयेगा। इससे हर स्कूल में अध्यापक भी पूरे होंगे और हर बच्चे को सुविधा भी पूरी मिलेगी। केवल एक बार योजना बनाकर फैसला लेने की आवश्यकता है। जब सरकार ऐसे फैसले लेकर अपनी वित्तिय सहेत को सुधारने का प्रयास करेगी तो जनता भी इसमें सहयोग करेगी। लेकिन ऐसे फैसले लेने के लिये एक मजबूत राजनैतिक ईच्छा शक्ति चाहिये। ऐसी ईच्छा शक्ति के लिये यह आवश्यक है कि सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करके चले कि अगले चुनाव में तो सत्ता बदलनी ही है। राजनेता सत्ता के लोभ में ऐसे व्यवहारिक फैसले लेने से डरते हैं। जबकि यह सच्चाई है कि 1985 से लेकर आज तक प्रदेश में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नही आ पायी है। चाहे उसे सैंकड़े के हिसाब से मीडिया से श्रेष्ठता के अवार्ड ही क्यों न मिले हों। यदि आज जयराम इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दिखा पाये तो शायद प्रदेश के इतिहास में अपना स्थान बना पायेंगे अन्यथा जो कुछ वित्तिय कुशासन के नाम पर अब तक प्रदेश में घट चुका है उसके बोझ तले दबकर असमय ही असफल होने का तमगा लगने की संभवना ज्यादा है।

नीरव मोदी को नीरव मोदी बनाने वाला कौन है?

जीवन में आगे बढ़ने के लिए शार्ट कट्स को चुनने वाला हर शख्स आज नीरव मोदी बनने के लिए तैयार बैठा है लेकिन जब तक सिस्टम के अन्दर बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करेगा वो उसे नीरव मोदी नहीं बनने देगा।

–डॉ नीलम महेंद्र–

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के एक प्रमुख बैंक में 11400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। लोग अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि हीरों का व्यवसाय करने वाले नीरव मोदी ने इतनी बड़ी रकम के घोटाले को अंजाम कैसे दिया कि रोटोमैक पेन कम्पनी के मालिक विक्रम कोठारी के भी 5 सरकारी बैंकों के लगभग 500 करोड़ का लोन लेकर फरार होने की खबरें आने लगीं हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे कुछ और मामले सामने आएँ। क्योंकि कुछ समय पहले तक बैंकों में केवल खाते होते थे जिनमें पारदर्शिता की कोई गुंजाइश नहीं थी और ई बैंकिंग तथा कोर बैंकिंग न होने से जानकारियाँ भी बाहर नहीं आ पाती थीं। लेकिन अब अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करने वाला बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटलमेन्ट ने बैंकों में पारदर्शिता के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनके कारण बैंकों के सामने अपने खातों में पारदर्शिता लाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी इस साल जनवरी में सूचना देने के अपने फार्मेट में बदलाव करने से इस घोटाले का मार्च तक सामने आना वैसे भी लगभग निश्चित ही था।

ऐसा नहीं है कि देश के किसी बैंक में कोई घोटाला पहली बार हुआ हो। नोटबंदी के दौरान बैंकों में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, आम आदमी बाहर लाइनों में खड़ा रहा और अन्दर से लेने वाले नोट बदल कर ले गए।

इसी प्रकार किसी आम आदमी या फिर किसी छोटे मोटे कर्जदार के कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बैंक उसकी सम्पत्ति तक जब्त करके अपनी रकम वसूल लेते हैं लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के बैंक से कर्ज लेने और उसे नहीं चुकाने के बावजूद उन्हें नए कर्ज पे कर्ज देते जाते हैं। नीरव मोदी के मामले में, पीएनबी जो कि कोई छोटा मोटा नहीं देश का दूसरे नम्बर का बैंक है, ने भी कुछ ऐसा ही किया। नहीं तो क्या कारण है कि 2011 से नीरव मोदी को पीएनबी से बिना किसी गैरेन्टी के गैरकानूनी तरीके से बिना बैंक के साफ्टवेयर में एन्टरी करे लेटर ऑफ अन्डरटेकिंग (एलओयू) जारी होते गए और इन 7 सालों से जनवरी 2018 तक यह बात पीएनबी के किसी भी अधिकारी या आरबीआई की जानकारी में नहीं आई? हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट और उसके बाद जारी होने वाली ऑडिट रिपोर्ट इस फर्जीवाड़े को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्यों इतने बड़े बैंक के किसी भी छोटे या बड़े

अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हर साल बैंक से एलओयू के जरिये इतनी बड़ी रकम जा तो रही है लेकिन आ नहीं रही है? यहाँ यह जानना रोचक होगा कि बात एक या दो एलओयू की नहीं बल्कि 150 एलओयू जारी होने की है। इससे भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि एक एलओयू 90 – 180 दिनों में एक्सपायर हो जाता है और अगर कोई कर्ज दो साल से अधिक समय में नहीं चुकाया जाता तो बैंक के ऑडिटर्स को उसकी जानकारी दे दी जाती है तो फिर नीरव मोदी के इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं एक बैंक का चीफ विजिलेन्स अधिकारी बैंक की रिपोर्ट बैंक के मैनेजर को नहीं बल्कि भारत के चीफ विजिलेन्स कमिशन को देता है लेकिन इस मामले में किसी भी विजिलेन्स अधिकारी को 7 सालों तक पीएनबी में कोई गड़बड़ दिखाई क्यों नहीं दी? इसके अलावा हर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस की टीम में एक आरबीआई का अधिकारी भी शामिल होता है लेकिन उन्हें भी इतने साल इस घोटाले की भनक नहीं लगी? आश्चर्य है कि जनवरी 2018 में यह घोटाला सामने आने से कुछ ही दिन पहले नीरव मोदी को इस खेल के खत्म हो जाने की भनक लग गई जिससे वो और उसके परिवार के लोग एक एक करके देश से बाहर चले गए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीरव मोदी को नीरव मोदी बनाने वाला कौन है? क्या कोई किसान या फिर आम आदमी नीरव मोदी बन सकता है? जवाब तो हम सभी जानते हैं।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश के बैंकों में कर्ज देने का सिस्टम न हो लेकिन कुछ मुठ्ठी भर ताकतों के आगे पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। जिस प्रकार पीएनबी के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह जानकारी सामने आई है कि पीएनबी के कुछ और अफसरों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, यह स्पष्ट है कि सारे नियम और कानून सब धरे के धरे रह जाते हैं और करने वाले हाथ साफ करके निकल जाते हैं क्योंकि आज तक कितने घोटाले हुए, कितनी जाँचे हुई, अदालतों में कितने मुकदमे दायर हुए, कितनों के फैसले आए? कितने पकड़े गए? कितनों को सजा हुई? आज जो नाम नीरव मोदी है कल वो विजय माल्या था। दरअसल आज देश में सिस्टम केवल बैंकों का ही नहीं न्याय व्यवस्था समेत हर विभाग का फेल है इसलिए सिस्टम पस्त लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

जीवन में आगे बढ़ने के लिए शार्ट कट्स को चुनने वाला हर शख्स आज नीरव मोदी बनने के लिए तैयार बैठा है लेकिन जबतक सिस्टम के अन्दर बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करेगा वो उसे नीरव मोदी नहीं बनने देगा। इसलिए नीरव मोदी जैसे लोग जो इस देश के अपराधी हैं, उस आम आदमी के गुनाहगार हैं जिनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई से इस राकम को वसूला जाएगा, उससे अधिक दोषी तो सिस्टम के भीतर के वो लोग हैं जो नीरव मोदी जैसे लोगों को बनाते हैं। इसलिए जबतक इन नीरव मोदी के ''निर्माताओं'' पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी देश में नए चेहरों और नए नामों से और नीरव मोदी पैदा होते रहेंगे।

प्रदेश में बागवानी विस्तार की नई पहल

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, व विविध जलवायु अनेक प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। राज्य में बागवानी विस्तार के लिए मौजूद अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां शीतोषण से लेकर उप – शीतोषणीय में उगाए जाने वाले 35 से अधिक किस्मों के फलों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के अनेक भागों में लोगों ने बागवानी को व्यवसाय के तौर पर अपनाया है और राज्य की आर्थिकी में बागवानी का बहुत बड़ा योगदान है।

राज्य में सेब के अलावा आम, लीची, नीम्बू प्रजाति के फल, पलम, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, चैरी, जापानी फल, बादाम, अखरोट, अनार, जैतून आदि की व्यावसायिक बागवानी की जा रही है। बाजार में अच्छे दाम व मांग को देखते हुए कीवी फल, स्ट्रॉबैरी, अनार व पपीता जैसे फलों की बहुतायत में पैदावार करने पर सरकार बल दे रही है। राज्य में फलों की अधिकतर फसलें मैदानी प्रदेशों के बाद तैयार होती है जिससे अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं। सुगन्धित व औषधीय पौधों की खेती तथा मसालों की खेती की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राज्य के समस्त बागवानी विशेषज्ञों व बागवानी विभाग के अधिकारियों को कार्यालयों से बाहर खेतों में जाकर अनुसंधान करने के निर्देश जारी किये हैं। बागवानी मंत्री ने बाग्वानी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा राज्य के सभी भागों तक पहुंचाने के लिये विभाग को खाका तैयार कर इसे शीघ्र व्यावहारिक बनाने को कहा है। प्रदेश के अलग – अलग हिस्सों में बागवानी विशेषज्ञ फील्ड में जाकर मुआयना करेंगे और यह तय करेंगे कि क्षेत्र विशेष में वहां के मौसम के अनुरूप बागवानी की योजना तैयार की जाये। पौधे लगाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा, कि सभी पौधे जीवित रहें।

राज्य के सभी भागों में मिट्टी के उपयुक्त परीक्षा के उपरांत क्षेत्र विशेष में होने वाली बागवानी पैदावार के अनुरूप किसानों को पौध उपलब्ध करवाई जायेगी। इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को नकदी फसलों की पैदावार करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिकी में वृद्धि होगी, साथ ही फलोत्पादन युवाओं को स्वरोज़गार का ज़रिया भी बनेगा।

राज्य सरकार बागवानी को राज्य के प्रत्येक भाग तक ले जाने की कार्य – योजना तैयार कर रही है। इसके लिये बागवानी विभाग किसानों की मांग और क्षेत्र विशेष की जलवायु के

अनुरूप नर्सियां तैयार कर पौधों का वितरण करेगा। अगले तीन महीनों के दौरान विभागीय नर्सियों से विभिन्न प्रजातियों से साढ़े चार लाख पौधे किसानों को उनकी मांग के अनुरूप वितरित किये जायेंगे।

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राज्य के समस्त बागवानी विशेषज्ञों व बागवानी विभाग के अधिकारियों को कार्यालयों से बाहर खेतों में जाकर अनुसंधान करने के कड़े निर्देश जारी कि, हैं। बागवानी मंत्री ने बागवानी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा राज्य के सभी भागों तक पहुंचाने के लिये विभाग को खाका तैयार कर इसे शीघ्र व्यावहारिक बनाने को कहा है। राज्य के सभी भागों में मिट्टी के उपयुक्त परीक्षण के उपरांत क्षेत्र विशेष में होने वाली बागवानी पैदावार के अनुरूप किसानों को पौध उपलब्ध करवाई जायेगी। इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को नकदी फसलों की पैदावार करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिकी में वृद्धि होगी, साथ ही फलोत्पादन युवाओं को स्वरोज़गार का ज़रिया भी बनेगा।

इस वर्ष मार्च माह तक राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त 21 – 23 लाख फलदार पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न प्रजातियों के ये पौधे डा. वाईएस. परमार बागवानी ,व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन), चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा राज्य की निजी पंजीकृत पौधशालाओं से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

बागवानी मंत्री ने सबसे ज्यादा बल इस बात पर दिया है कि पौधे उन्नत किस्म के हों। घटिया किस्म के पौधों के वितरण पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये संबंधित विभाग को पौधों की समुचित जांच पड़ताल के बाद ही इनके वितरण को कहा गया है।

बागवानों को उनकी फल फसलों के उचित दाम दिलाने पर राज्य सरकार विशेष बल देगी। मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत आम, सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा व गलगल फलों का प्रापण किया जा रहा है।

अच्छे दामों के साथ साथ फल विधायन उद्योग में विविधता लाने के लिये फलों पर आधारित वाईन व साईडर जैसे पेय पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिब्बाबंद इकाईयों की स्थापना कर इसके माध्यम से घरेलू स्तर पर फलों ,वं सब्जियों के परीक्षण के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। मिशन के तहत फल पौधशालाओं, जल संसाधनों का निर्माण, बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, हरित गृहों में संरक्षित खेती, जैविक खेती, मशीनीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, फल विपणन तथा फल विधायन जैसे अनेक कार्यक्रमों पर सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बागवानी विकास एवं अनुसंधान हेतु अनेक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

राज्य में पुष्पोत्पादन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर बागवानी विभाग इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। हरित गृहों का निर्माण किया जायेगा। फूलों की खेती स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प भी है और युवाओं को इस नकदी फसल के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। जलवायु में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन से फसलों के साथ बागवानी क्षेत्र को भी नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बागवानों को पानी की उपलब्धता पर ही पौधरोपण करने की सलाह दी गई है। उधर, बागवानी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को किसानों द्वारा रोपित पौधों व इनकी जीवंतता की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करने को कहा है।

बागवानी मंत्री की समूचे प्रदेश तक बागवानी के प्रसार की सोच को आगे बढ़ाने के लिये विभागीय अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ – साथ किसानों व बागवानों को भी बागवानी उत्पादन में रूचि लेकर सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है।

कृषि–विकास के लिए वरदान बनीं केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में कृषकों की आय को दोगुणा करने के उद्देश्य से कृषि – विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही दर्जन भर केन्द्र प्रायोजित योजनाएं इस दिशा में वरदान सिद्ध हो रही हैं।

प्रदेश में 90:10 प्रतिशत की भागीदारी से कार्यान्वित की जा रहीं इन महत्वपूर्ण योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुवधिओं को बढ़ावा देना, गैर – मौसमी सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश में परम्परागत खेती के साथ – साथ नकदी फसलों को उगाने के प्रति किसानों को जागरूक करना है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 5.42 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि – योग्य है जिसमें से 80 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर आधारित है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि – सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मृदा परीक्षण कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन ने किसानों को विशेष रूप से प्रभावित किया है तथा उन्हें कृषि की नई तकनीकों को अपनाने तथा नकदी फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित किया है। इससे कृषकों की आय में बदलाव देखने को मिल रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, प्रदेश में पहली बार स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ जरूरत के अनुसार कृषि योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी तो सुनिश्चित हो ही रही है, बल्कि इससे कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत इस वर्ष लगभग 25.50 करोड़ रुपये केन्द्र से प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, 12.14 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं।

प्रदेश में 'हर खेत को पानी' उपलब्ध करवाने की अवधारणा से आरम्भ की गई 'प्रधानमंत्री कृषि – सिंचाई' नामक एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस योजना के तहत इस वर्ष 11.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत कृषकों को खेत में हर बूंद का सदुपयोग करके उत्पादन बढ़ाने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन में मृदा – परीक्षण

के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कृषकों को निःशुल्क मृदा – परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक, 6.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध करवाए जा चुके है। प्रदेश में 11 स्थाई मृदा – परीक्षण प्रयोगशालाएं, 9 स्वाचालित परीक्षण – प्रयोगशालाएं तथा 47 मिनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिसके माध्यम से कृषकों को परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के उद्देश्य से अपनी मृदा – परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रति भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे युवाओं को 25 लाख रुपये तक 40 प्रतिशत तक उपदान प्रदान किया जा रहा है।

कृषकों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में फसलों की क्षति पर उपलब्ध करवाने के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' एक महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की गई है। इससे नकदी फसलें उगाने वाले कृषकों को बड़ी राहत पहुंची है। ऋण लेने वाले कृषकों के लिए यह बीमा योजना आवश्यक है जबकि अन्य कृषक इसे स्वैच्छा से अपना सकते हैं। टमाटर, अदरक, मटर, शिमला मिर्च तथा लहसुन जैसी फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस बीमा योजना की और विशेषता यह भी है कि इसमें खेतों में पड़ी फसलों को प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुक्सान की स्थिति में भी मुआबजा उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है तथा कृषकों को जैविक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में लगभग 40 हजार कृषक जैविक खेती के लिए पंजीकृत किया जा चुके हैं तथा लगभग 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती होने लगी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं फसलों में विविधता लाने के लिए 'जिका' तथा कृषि विस्तार गतिविधियों के लिए 'आत्मा' जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं तथा कृषक नई कृषि – तकनीकी अपनाने तथा नकदी फसलें उगाने के प्रति बड़ी संख्या में आगे आए हैं। हिमाचल प्रदेश ने गैर – मौसमी सब्जियां उगाने तथा खुम्ब उत्पादन में पहले ही देश में नाम कमाया है ओर वह दिन दूर नहीं जब यह प्रदेश जैविक खेती में भी देशभर में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला – 2

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना लक्ष्य: किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है, और राज्य की समूची आबादी को सरकार द्वारा उचित मूल्यों की दूकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित बनाना संबन्धित विभाग व निगम की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार के निर्णयों व नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिये कर्मियों को इमानदारी व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और सरकार के निर्णय फील्ड में नजर आने चाहिए।

कपूर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 100 दिनों के लिये दिये गए लक्ष्यों तथा विभागीय कार्यप्रणाली पर बहुउद्देशीय एजेन्डा पर प्रथम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्व में जो कमियां रही हैं, उनमें सुधारों के लिये प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देश में अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों से भी बेहतर हमें करना है और इसके लिये कर्मचारियों को फील्ड में उतरना होगा। उन्होंने माप व तोल की कार्यप्रणाली हेतु तैयार किए गए माडयूल को भी तुरंत लागू करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और मानव जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आटा कारखानों/चकियों से आपूर्ति गुणवत्तायुक्त हो, इसके लिये सभी भण्डारणों में सैंपल लिये जाने चाहिए और सैंपलिंग के समय आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि भी साथ हों, ताकि सैंपल फेल होने पर वे किसी प्रकार की बहाने-बाजी न कर सके। उन्होंने कहा कि मानदण्डों पर आपूर्ति खरी न उतरने पर इसे तुरन्त वापिस किया जाए और आपूर्ति आदेश मांग से अधिक नहीं होना चाहिए और आटा मिलों के पास विभागीय आदेश के कारण अनावश्यक आटा भण्डारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने विभाग को आपूर्ति निगम के भी सभी भण्डारणों का समय-समय पर निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार घटिया आपूर्ति करने वाली मिलों को ब्लैकलिस्ट करेगी। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

मंत्री ने ऊना जिले के टाहलीवाल में मैसर्ज कौशल रोलर फलोर मिल द्वारा लगभग 7000 क्विंटल गेहूं के कोटे को अनाधिकृत रूप से गायब करने के मामले को गंभीरता से लिया तथा निर्देश दिए कि दोषी मिलर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में पहले ही एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को राज्य में प्रचलित दालें ही उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सिविल सप्लाईज निगम की सयुंक्त बैठक बुलाई जाएगी और राशन की आपूर्ति व वितरण तथा भण्डारण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

पत्थर के बट्टों का चलन गैर कानूनी

मंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित सभी थोक, परचून, निर्माणकर्ता सहित सभी व्यापारिक केन्द्रों में किसी एक में भी पत्थर के बट्टों (माप-तोल) का प्रयोग नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्थर के बट्टे का उपयोग गैर कानूनी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाइ की जाएगी। उन्होंने माप व तोल विभाग को समयवबद्ध सभी दुकानों के निरीक्षण कर इस संबंध में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, एलपीजी सिलिण्डरों के भार में कमी की शिकायतें हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को छोटे से छोटे कस्बे में पहुंच कर इस प्रकार की गड़बड़ी पर पूर्णत: अंकुश लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि दोषियों को भारी-भरकम जुर्माना किया जाना चाहिए और साथ ही सजा के प्रावधान लिये चालान फाईल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैट्रोल पम्पों में भी गड़बड़ी की शिकायतें अक्सर आती हैं। उन्होंने कहा कि सभी पैट्रोल पंप राजमार्गों अथवा राज्यमार्गों पर स्थापित किये गए हैं और विभाग मोबाईल वाहन के माध्यम से नित्य प्रति अधिक से अधिक पैट्रोल पंपों का भी निरीक्षण करें। उन्होंने पैट्रोल पंपो पर लोगों की सुविधा के लिये शौचालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के जनजातीय व दूर-दराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने के लिये वह केन्द्रीय मंत्री से बात करेंगे।

मंत्री ने की उपभोक्ता मोबाईल एप्प की शुरूआत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में पहली बार उपभोक्ता मोबाईल एप्प की भी शुरूआत की। ई-पीडीएस की स्थिति जानने के लिये तैयार की गई इस एप्प को किसी भी एण्डरॉयड मोबाईल से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्प के माध्यम से उपभोक्ता अपने राशन कार्ड का पूरा विवरण देख सकता है, और टॉल-फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत कर सकता है, प्राप्त किये जाने वाले राशन की मात्रा व इसकी कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकता है। एप्प के माध्यम से उपभोक्ता राशन संबंधी फीडबैक भी दे सकता है। मंत्री ने लोगों से इस बहु-आयामी एप्प का उपयोग करने की अपील की है और इसमें किसी भी प्रकार के सुधार के लिये सुझाव भी मांगे हैं।

गेहूँ के बजाए आटा उपलब्ध करवाने पर विचार

कपूर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध करवाना है और गेहूँ के विकल्प के बजाए सभी उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करवाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार में जहां केवल बुजुर्ग ही हैं, वे 6 किलो गेहूं को पीसने के लिये कहां लेकर जाएंगे। इसके अलावा, गेहूँ के विकल्प से मासिक कोटे का सही निर्धारण भी नहीं हो पा रहा है।

मंत्री को अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के लिये निर्धारित 36.25 लाख उपभोक्ताओं के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं को ही इस योजना के तहत लाया गया है। उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हर संभव प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों को शामिल करके और परिवारों को इस योजना के तहत लाने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

विभाग के टॉल-फ्री नम्बर 1967 पर कर सकते हैं शिकायत

मंत्री ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये टॉल-फ्री नंबर 1967 स्थापित किया गया है और सस्ते राशन अथवा उपभोक्ताओं से जुड़ी अन्य शिकायतें इस नम्बर पर की जा सकती हैं। उन्होंने विभाग को इस नम्बर का प्रसार आम जनमानस तक करने को कहा।

राज्य में मजबूत होगी ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि विभाग ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं और मार्च माह तक 90 फीसदी लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे ताकि आपूर्ति के समय इनकी ट्रैकिंग की जा सके। इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह से शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। डिप्पो होल्डर भी मनमानी नहीं कर सकेंगे।

विभागीय निदेशक मदन चौहान ने धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि विभाग सरकार के निर्णयों व नीतियों को अक्षरश: कार्यान्वित करेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व उपभोक्ताओं के लिये संतोषजनक बनाया जाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक के.के. शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया। प्रदेश के सभी जिलों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति नियंत्रक व खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

वर्ष 2018-19 के लिये राज्य योजना का आकार 6300 करोड़ प्रस्तावित

शिमला/शैल। वित्त वर्ष 2018-19 के लिये राज्य योजना का आकार 6300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10.51 प्रतिशत फीसदी की बढ़ौतरी के साथ 600 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां पूर्वाहन सत्र में सोलन, सिरमौर तथा शिमला के विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकताओं के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की सीमा में वृद्धि की भी घोषणा की। विधायक अब लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों से सम्बन्धित अपने चुनाव क्षेत्र की 90 करोड़ रुपये

तक की विभिन्न विकास योजनाओं को नाबार्ड को प्रेषित कर सकते हैं। इससे पूर्व यह सीमा 80 करोड़ रुपये की थी।

मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए 1351 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से ऊना में पीजीआई उपग्रह केन्द्र के लिए भी केन्द्र सरकार का आभार जताया। ऊना में 300 बिस्तरों का यह पीजीआई उपग्रह केन्द्र हिमाचल प्रदेश के मरीजों को उनके घरद्वार के समीप चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में मद्दगार साबित होगा और गुणात्मक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश से पीजीआई के लिये मरीजों की भीड़ को कम करेगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 69 राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं लेने की प्रक्रिया इस वर्ष 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में उचित निर्देश भी जारी किए। उन्होंने समस्त विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों, विशेषकर सड़क परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली स्वीकृति की शक्तियों को मौजूदा एक हैक्टेयर से पांच हैक्टेयर तक बढ़ाने के लिए मामला केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उठाएगी क्योंकि अधिकांश सड़क परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम की जटिलताओं के कारण लटकी रहती हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी तथा सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया और प्रधानमंत्री द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना चरण-1 व चरण-2 'उड़े देश का आम नागरिक उड़ान' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, समुद्री विमानों के परिचालन का मुद्दा भी केन्द्र सरकार से उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और 'सबका साथ, सबका विकास' पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थाई विकास लक्ष्यों की रूपरेखा और वर्ष 2022 तक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार अनुत्पादक व्यय को कम करने के उपायों के लिये आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी और राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा रोजगार व स्वरोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के उपायों पर भी बल दिया। उन्होंने जैविक प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल दिया ताकि किसानों व बागवानों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के लोगों को स्वच्छ, प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान करेगी ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' को साकार बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों को पूरा करने तथा इनमें से अधिकतर कार्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत करवाने तथा विधायकों के सुझावों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

आयोग करेगा महिलाओं के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थानों का पंजीकरण

शिमला/शैल। हि.प्र. राज्य महिला आयोग ने बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में समिति अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा है।

हि.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे अथवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत अथवा आपातकाल में महिलाओं की मदद कर रहे संगठनों का पंजीकरण कम से कम तीन वर्षों के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे संगठनों का स्वच्छ रिकॉर्ड होना चाहिए और स्वयंसेवी संस्था अथवा इसके किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई मामला दर्ज हुआ नहीं होना चाहिए। संस्थाओं के लेखों का कम से कम तीन वर्षों के लिए आडिट हुआ होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने संबंधित विभागों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चल रहे निर्माण व रखरखाव के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाएं समयबद्ध पूरी

की जानी चाहिए और किसी प्रकार के विलम्ब को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा।

वह शिमला में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण, विस्तार व सुधार को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा व समीक्षा की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति व विभागीय गतिविधियों बारे मंत्री को अवगत करवाया।

स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया गया कि बिलासपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है और इसके लिये 6 करोड़ रुपये की दो किश्तें लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी गई हैं। कांगड़ा जिले के टांडा में 40 करोड़ रुपये की लागत के 200 बिस्तरों के स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थान के लिये 10 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्री ने इसके निर्माण में देरी पर चिंता जताई और संबंधित विभाग को निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने को कहा।

इसी प्रकार, 100 बिस्तरों के स्वास्थ्य केन्द्र ऊना के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है तथा चार करोड़ की राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध करवा दी गई है। नूरपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण के लिये 6 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं और इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। कुल्लू में 100 बिस्तरों के अस्पताल व प्रशासनिक खण्ड पर 20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे है और भूमि का चयन कर लिया गया है। सोलन में 50 बिस्तरों के अस्पताल के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये दो करोड़ की राशि बीएसएनएल को जारी कर दी गई है और यह भवन डेढ वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।

मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की समीक्षा करते हुए कहा कि बहु विशेषज्ञ शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने इस संबंध में विभाग से पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीआईपी कार्यक्रम पर विधायकों के लिए भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) को अधिक तवज्जो प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार को स्वीकृति के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 539 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित की हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बेशक स्वास्थ्य के अनेक क्षेत्रों में राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में आई कमी चिंता का कारण है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

परमार ने कहा कि राज्य सरकार आशावर्करों के लिए बीमा योजना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसव के उपरांत अस्पताल से घर तक पहुंचाने तथा तीन बार टीकाकरण के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने का केन्द्र से आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वायदे के अनुसार 200 और डॉक्टरों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 पद रेडियो थेरेपिस्ट के स्वीकृत किए गए हैं जिससे टांडा अस्पताल में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक मशीन को क्रियाशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को काम में तेजी लानी होगी और कागजों में आंकड़ों के बजाए फील्ड में व्यावहारिक प्रगति दर्शानी होगी।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों में धनराशि का समयबद्ध व समुचित उपयोग कर इसकी रिपोर्ट समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने की हिमाचल रेजिमेंट की मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।

उन्होंने रक्षा बलों में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों की शूरवीर सेवाओं को पहचान दिलाने के लिए 'हिमाचल रेजिमेंट' की मांग की, क्योंकि 1200

से अधिक जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और हिमाचल के वीर जवानों को चार परमवीर चक्र सहित 1100 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया किया कि राज्य के युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में कैरियर का सबसे पसंदीदा बड़ा विकल्प है। हालांकि, भर्ती की जाने वाली पुरुष आबादी (आरएमपी) की अवधारणा के कार्यान्वयन के उपरान्त राज्य के लिए भर्ती कोटे को कम कर दिया गया है। उन्होंने इसमें बढ़ौतरी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने एयरफोर्स के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे को विकसित करने का भी आग्रह किया और कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों व भारी विमानों को उतारकर रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसकी सीमा से सुरक्षित दूरी तथा रणनीतिक स्थान होने के कारण पठानकोट एयरपोर्ट के लिए सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि की अधिग्रहण की आवश्यकता होगी जिसकी लागत को रक्षा मन्त्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन देने का अनुरोध किया कि इस एयरपोर्ट के रक्षा सम्पति के रूप में विकसित किए जाने के बाद भी नागरिक उड़ानों के संचालन को जारी रखा जाए।

जय राम ठाकुर ने रक्षा उपकरणों को धर्मशाला के युद्ध स्मारक में स्थानान्तरित करने के लिए मंत्रालय के समर्थन के लिए भी अनुरोध किया। यह स्मारक बहादुर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित किया गया है। उन्होंने मनाली-लेह रेलवे लाईन के मामले को आगे बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया, जो राष्ट्र के लिए सामरिक तथा रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों को सुना तथा हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

अनाप-शनाप बयानबाजी से परहेज करे कांग्रेस

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस महासचिव हर्षवर्धन चौहान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य में अनेक प्रकार का माफिया खूब फला-फूला, चाहे वन माफिया हो, खनन माफिया, नशा माफिया या फिर तबादला माफिया। कांग्रेस की सरकार में विभिन्न प्रकार के माफिया ने आम जन-मानस का जीना दूभर कर दिया था और राज्य की जनता को ऐसी सरकार से जल्द छुटकारा पाने के लिये लंबा इंतज़ार करना पड़ा।

मंत्रियों ने 10 हजार डी.ओ. अनुमोदित करने की बात को सरासर झूठा व बेबुनियाद बताया है। बयान में बताई गई डी.ओ. जारी करने की संख्या निराधार है तथा अधिकांश तबादले जन समस्याओं से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों की जांच के बिना इस प्रकार की बयानबाजी करना कांग्रेस सरकार की चुनावों में बुरी तरह से हुई पराजय के कारण उनकी हताशा को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस अभी तक इस हार से उभर नहीं पाई है और अनाप-शनाप बयानबाजी में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई लोगों ने तबादलों को धंधा बनाकर रखा था, जिससे कर्मचारी परेशान थे और इसे लेकर बार-बार सरकार पर उंगलियां भी उठती रही। यही नहीं, पिछली सरकार ने चुनावी वर्ष में राजनीतिक द्वेष से आनन-फानन में हजारों कर्मचारियों के तबादले कर दिए, जिससे कर्मचारी काफी खफा थे और तबादलों के कारण हुई परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते थे।

शिक्षा मंत्री तथा वन मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किए जा रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकांश तबादले पहले से ही राज्य सरकार के विचाराधीन थे, और इन तबादलों पर प्रशासनिक व नीतिगत औपचारिकताओं से संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत ही फैसला लिया गया है। तबादलों के लिये मुख्यमंत्री की अनुसंशा प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किए गए कर्मचारियों के अंधाधुंध तबादलों से कर्मचारियों को जो दिक्कतें आई, उन्हें दूर करना व समाधान करना राज्य सरकार का दायित्व है।

मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय, सब-कैडर व कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सेवाकाल पूर्ण होना, चिकित्सा आपात अथवा अन्य प्रकार के मानवीय आधार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसे में कर्मचारी के तबादले पर फैसला लेना ज़रूरी हो जाता है। यही नहीं, एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों का तबादला करना प्रशासनिक आवश्यकता है और जनहित में अनिवार्य भी है। इसके अलावा, सेवानिवृति की दहलीज़ पर अधिकारियों/कर्मचारियों को यथासंभव उनके जिले में रिक्त पद पर समीपवर्ती स्टेशन उपलब्ध करवाना तथा दंपति मामले में तबादलों पर सकारात्मक रवैया अपनाना भी दिशा-निर्देशों व नीति का हिस्सा है। ऐसा पिछली सरकार के समय में भी होता रहा है और बेवजह इस मुद्दे को उछालना सही नहीं है। शिक्षा मंत्री तथा वन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य का विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि वे बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप के बजाए राज्य के विकास में सरकार का सहयोग करें।

सीआईआई को बजट में बुनियादी ढांचा में निवेश की दिशा में निर्णय की उम्मीद

शिमला/शैल। सीआईआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बजट से अपनी उम्मीदें बताते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर एजेंडा निर्धारित कर सुधारों माध्यम से सतत् विकास की ओर बढ़ना जरूरी है। सीआईआई ने कहा कि सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समग्र योजना जरूरी है। सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन राजेश साबू ने कहा कि राज्य सरकार को व्यापार को आसान बनाने के साधनों, बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रतियोगी फायदों के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विकास को नई दिशा देते हुए उद्योगों को 2020 तक और उसके बाद भी समर्थन देगा तथा विकास का लंबा सफर तय करेगा, जो राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए प्रोत्साहन पैकेज का काम करेगा और उद्योगों को जबरदस्त ग्रोथ देगा।

डीआईपीपी द्वारा जारी की गई व्यापार को आसान बनाने के मानदंडों वाली नवीनतम रैंकिंग के अनुसार हिमाचल प्रदेश अभी भी 17 वें स्थान पर रहा है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के प्रभावी ना होने के कारण हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग सुधर नहीं पा रही है। भूमि बंद राज्य होने के नाते बुनियादी ढांचा चिंता का एक और बड़ा क्षेत्र है और राज्य सरकार को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के साथ ही निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

राज्य के औद्योगिक गलियारों के माध्यम से आने वाली प्रमुख सड़कों को चार लेन के राजमार्गों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र को अप्रोच करना चाहिए, जो न केवल उद्योग को बढ़ावा देगा बल्कि इससे राज्य में पर्यटन का भी दबदबा बढ़ेगा। पर्यटन पहाड़ी राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट कौंसिल के उपाध्यक्ष आईएमजेएस सिद्धू ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक यूनियनों के अनैतिक और एकाधिकार प्रथाएं चिंता का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है और इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से भंग किया जाना चाहिए। बिजली जो सरकार की यू एस पी थी और राज्य में उद्योग को आकर्षित करती थी वह प्रतिस्पर्धी दरों पर अब राज्य में उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार को बिजली के दामों को लेकर और बेहतर टैरिफ पेश करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह टैरिफ कम से कम अगले 5 वर्षों तक ना बदले। यह न केवल उद्योग के विकास और बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि मौजूदा उद्योग को बनाए रखने के लिए भी अनुकूल होगा।

सीआईआई ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही राज्य पर्यटन नीति के एक नए सिरे से इसका ताज़ा संस्करण जारी करना चाहिए। यह एडवेंचर, हेल्थ, वैलनेस, ग्रामीण एवं ऑर्चिड पर्यटन पर केंद्रित हो।

साधु ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि राज्य सरकार 2018-19 का बजट बनाते हुए अपनी प्राथमिकताओं में सीआईआई द्वारा दिए गए सुझाव और सिफारिशों पर गौर करेगी।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र प्रकरण में अब वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर सह अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी

शिमला/शैल। ईडी द्वारा वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद वीरभद्र का मनीलॉंड्रिंग मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि वक्कामुल्ला चन्द्रशखेर को जब गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अदालत में पेश किया और कस्टोडियल जांच की मांग की तब अदालत ने ईडी के आग्रह को अस्वीकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत से उसे कब ज़मानत मिलती है और उसके खिलाफ कब अदालत में चालान दायर किया जाता है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। वक्कामुल्ला को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो निश्चित है कि उसके खिलाफ भी चालान तो दायर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक यह चालान दायर नही हो जाता है तब तक इस मामले में पहले आनन्द चौहान और फिर वीरभद्र सिंह एवम् अन्य के खिलाफ दायर हो चुके चालानों पर कारवाई आगे नही बढ़ पायेगी। क्योंकि यह सब एक ही मामले की अलग-अलग कड़ियां है।

स्मरणीय है कि वीरभद्र सिंह 28.5.2009 से 26.6.2012 तक केन्द्र में मन्त्री थे और उसी दौरान 30.11.2010 को अशोका होटल स्थित एक जिन्दल स्टील उद्योग के मुख्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई जिसमें एक डायरी पकड़ी गयी। इस डायरी में कुछ लोगों के सांकेतिक नाम थे जिनके आगे मोटी रकमें दर्ज थी। इनमें एक नाम VBS था जिसके आगे 2.77 करोड़ की रकम लिखी गयी थी। इस नाम को वीरभद्र सिंह मान लिया गया। इसके बाद मार्च 2012 में वीरभद्र ने पिछले तीन वर्षो की संशोधित आयकर रिटर्नज़ दायर कर दी और इनमें पहले दायर की गयी मूल आय से कई गुणा अधिक आय दिखा दी गयी। इसके बाद 11-01-2013 को प्रशांत भूषण ने सीबीआई और सीबीसी में एक शिकायत डालकर यह आग्रह कर दिया कि आयकर विभाग को 30.11.2010 को छापेमारी के दौरान जो डायरी मिली थी जिसमें VBS के आगे 2.77 करोड़ की रकम लिखी गयी थी उसे वीरभद्र से जोड़कर इस मामले की जांच की जाये। इस तरह आगे बढ़े इस मामले में सीबीआई ने 23-09-2015 को वीरभद्र एवम् अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया और इसमें वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को भी एक सहअभियुक्त बना लिया गया। क्योंकि जब प्रतिभा सिंह ने मण्डी से उपचुनाव लड़ा था तो चुनाव शपथपत्र में वीरभद्र और अपने नाम पर करीब चार करोड़ का Unscured कर्ज वक्कामुल्ला से लिया दिखाया था। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किये जाने के बाद 27.10.2015 को ईडी ने भी मनीलॉंड्रिंग के तहत मामला

दर्ज कर लिया।

सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पूरी करके चालान ट्रायल कोर्ट में डाल दिया है। इसमें वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, चुन्नी लाल, आनन्द चौहान, वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर सहित ग्याहर लोगों को अभियुक्त बनाया गया है परन्तु सीबीआई ने इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नही की है। जबकि दूसरी ओर ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद 23.3.2016 को पहला अटैचमैन्ट आर्डर जारी करके दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित मकान सहित करीब आठ करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली। ग्रेटर कैलाश का मकान प्रतिभा सिंह के नाम पर है। इस अटैचमैन्ट के बाद 9 जूलाई 2016 परिवार के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को ई डी ने गिरफ्तार कर लिया। यहां यह गौरतलब है कि 23 मार्च 2016 को जो अैटचमैन्ट आर्डर जारी किया गया था उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वक्कामुल्ला की भूमिका को लेकर अभी जांच पूरी नही हुई है और जांच पूरी होने के बाद इसमें अनुपूरक चालान दायर किया जायेगा। सीबीआई की जांच में आनन्द चौहान और वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर पूरे मामले के दो प्रमुख पात्र हैं क्योंकि वीरभद्र परिवार के पास पैसा या तो आनन्द चौहान या वक्कामुल्ला के माध्यम से आया है।

ईडी ने जब आनन्द चौहान को गिरफ्तार किया तो उसके बाद इस सद्धर्भ में चालान भी दायर करना पड़ा। लेकिन इस चालान पर कारवाई आगे नही बढ़ पायी क्योंकि उसमें अनुपूरक चालान नही आया था। अदालत लगातार अनुपूरक चालान के लिये ई डी को लताड़ लगाता रहा। विधानसभा चुनावों के दौरान चार बार ई डी ने इसके लिये समय मांगा। बल्कि अनुपूरक चालान में देरी होने के कारण ही आनन्द चौहान को जमानत मिल गयी। यहां यह भी गौरतलब है कि 31-03-2017 को ई डी ने दूसरा अटैचमैन्ट आर्डर जारी करके महरौली स्थित फार्म हाऊस को भी अटैच कर लिया है। यह फार्म हाऊस विक्रमादित्य और अपराजिता की कंपनी के नाम है। इसकी खरीद 1.20 करोड़ में दिखायी गयी है और इसके लिये 90 लाख रूपया वीरभद्र ने दिया है और शेष 30 लाख विक्रमादित्य सिंह ने। लेकिन जिस समय यह फार्म हाऊस खरीदा गया उस वर्ष की आयकर रिटर्न में विक्रमादित्य सिंह ने अपनी कुल आय ही 2,97,149 दिखाई है और यह तीस लाख से कहीं कम है। ई डी ने जो दूसरा अटैचमैन्ट आर्डर जारी किया है उसके मुताबिक 18-07-11 को 90 लाख रूपया पांच आरटीजीएस के माध्यम से भारत फूडज, गुरचरण सिंह और एचडीएफसी बैंक से वक्कामुल्ला के नाम गया। फिर 21-07-11 को यही पैसा वक्कामुल्ला से वीरभद्र को गया। वीरभद्र से 2-8-11 को यह पैसा क्रिमादित्य सिंह को गया तथा 4-8-11 को यही पैसा सुनीता गड्डे और पिचेश्वर गड्डे को गया जिनसे यह फार्महाऊस खरीदा गया है। फिर 19-11-11 से 25-11-11 तक दो करोड़ रूपया वक्कामुल्ला से विक्रमादित्य सिंह को गया। फिर मैप्पल डैस्टीनेशन से 11-1-12 को 1.50 करोड़ तारिणी शूगर को और 10-1-12 को 50 लाख वक्कामुल्ला को गया। इस सारे लेन-देन के दस्तावेज ई डी के दूसरे अटैचमैन्ट आर्डर के साथ लगे हैं। लेकिन ई डी ने जो अनुपूरक चालान दायर किया है उसमें वीरभद्र सहित छः लोग अभियुक्त बनाये गये हैं और उसमें वक्कामुल्ला का नाम नहीं है। अब वक्कामुल्ला को गिरफ्तार किया गया है तो इस गिरफ्तारी से फिर सवाल उठेगा कि मुख्य अभियुक्तों को छोड़कर सह अभियुक्तों को क्यों पकड़ा जा रहा है। आनन्द चौहान के साथ भी यह सवाल उठा था। अदालत में भी यह सवाल तो उठेगा ही। इसलिये ईडी जिस तरह से इस मामले में आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि इसमें कई अनुपूरक चालान और आयेंगे। क्योंकि जिस भारत फूडज़ और गुरचरण सिंह के नाम से ट्रांजैक्शन दिखा रखी है कल को ईडी उन्हे भी पकड़ सकती है। उसके बाद जिस गड्डे परिवार से फार्म हाऊस की खरीद दिखायी गयी है उनकी बारी भी आ सकती है लेकिन इस पूरे मामले ईडी को अन्ततः यह जवाब देना ही होगा कि मुख्य अभियुक्तों को छोड़कर सह अभियुक्तो को क्यों पकड़ा गया? या फिर ईडी ने जितने भी दस्तावेज जुटाये हैं उनकी प्रमाणिकता पर क्या उसे ही सन्देह है और इसीलिये मामले को लम्बा खिंचा जा रहा है ताकि समय के साथ सब कुछ अपने आप ही दब जाये।

ईडी की कार्यप्रणाली फिर सवालों में

जंजैहली प्रकरण में गलत

.....पृष्ठ 1 का शेष

of the population is towards Thunag. Geographically, Thunag is well connected. Even climatically, it is Thunag which is best suited, for during winters Janjehli, quite often, is covered by snow, making things difficult from the viewpoint of administration.

15. Public action has to be exercised in good faith. It cannot be based on extraneous factors and considerations. Arbitrariness cannot be allowed to prevail. It should not be dependent upon whims and caprice of an individual.

16. In view of the peculiar facts and circumstances, we are inclined to interfere in the present writ petition and, as such, quash Notification (Annexure P-9), dated 27.6.2017, regarding creation of Sub Division at Janjehli, District Mandi, Himachal Pradesh; and Notification (Annexure P-10) dated 21.4.2016, regarding creation of new Sub Tehsil at Chhatri, District Mandi, Himchal Pradesh, both issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. Present writ petition stands allowed. Pending application(s), if any, stand disposed of.

(Sanjay Karol),
Acting Chief Justice
(Sandeep Sharma),
Judge
January 4, 2018(sd)

इस तरह सरकार की गलत ब्यानी अदालत के सामने आ गयी जिस पर अदालत ने 27.6.2017 और 21.4.2016 को जारी हुई दोनों अधिसूचनाएं रद्द कर दी।

अदालत के फैसलें से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन ने नीयतन उच्च न्यायालय को गुमराह किया है। फैसले से सरकार के सामने भी यह सब कुछ आ चुका है। उच्च न्यायालय में गलत शपथपत्र दायर हुआ है यह स्पष्ट हो चुका है। कानून की थोड़ी सी भी जानकरी रखने वाले जानते है कि अदालत में गलत शपथपत्र दायर करना कितना बड़ा अपराध है। इस अपराध का संज्ञान लेकर संबद्ध लोगों को सज़ा देना मुख्यमन्त्री और उनके कार्यालय की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक ऐसा हो नही पाया है जबकि इस मामले तो स्वयं मुख्यमन्त्री की साख दाव पर लगी हुई है। मुख्यमन्त्री ने इस प्रकरण पर अब यहां तक कह दिया है कि इसके लिये जो भी जिम्मेदारी होगा उसके खिलाफ कारवाई की जायेगी चाहे वह अपना हो या पराया। मुख्यमन्त्री ने इसमें किन अपनों की ओर संकेत किया है। यह तो स्पष्ट नही किया है लेकिन मुख्यमन्त्री के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमन्त्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल का ब्यान आया है कि इस मामलें में उनकी कोई भूमिका नही है। उन्होने खुले शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो उनकी भूमिका की सीआईडी से जांच करवा ले। धूमल के इस ब्यान से राजनीतिक हल्को में खासकर भाजपा के अन्दर बहुत हड़कंप की स्थिति पैदा हो गयी है। माना जा रहा है कि इस तरह से धूमल और जयराम का टकराव आने वाले समय में सरकार और पार्टी पर भारी पड़ेगा।